संख्या-01/2020/19/77-3-2020-21बजट/19

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिफेन्स एक्सपो 2020 के आयोजन में कराये जाने वाले कार्यों के लिए धनराशि रू0 86.81 करोड़ स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-868/यूपीडा/08/147, दिनांक 25.10.2019 एवं पत्रांक-6516/यूपीडा/08/992/लेखा दिनांक 30.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से उ0प्र0 में डिफेन्स एक्सपो इण्डिया 2020 के आयोजन के लिए अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-02-डिफेन्स एक्सपो इण्डिया-2020-24 वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 86.81 करोड़ (रूपये छियासी करोड़ इक्यासी लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

1. उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में रखी जायेगी ।
2. यूपीडा द्वारा धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व अन्य शासकीय आदेशों /वित्तीय प्राविधानों/नियमों का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. आहरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध करायेगें।
6. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दि0 22.03.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2019/बी-2-665/दस-2019-244(द्वितीय)/2019दिनांक 26.12.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-02-डिफेन्स एक्सपो इण्डिया-2020-24 वृहद निर्माण कार्य"के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या–ई-6-01/दस-20 दिनांक 03.01.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या -01/2020/19(1)/77-3-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोखले मार्ग, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर उत्तरी एवं पुलिस अधीक्षक, यातायात, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष/महानिदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।
9. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग/शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), लखनऊ।
11. जिलाधिकारी, लखनऊ।
12. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. वित्त (ई) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
15. वित्त (आय-व्ययक्) अनुभाग-1
16. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।